

राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना श्रोत संस्थान,
डॉ. के.एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-12,
14, सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली-67.

संख्या : 1(163)/2014-Vig.

दिनांक: 29-09-2015


OFFICE MEMORANDUM

विषय : सीसीएस (आचरण)नियमावली 1964 तथा लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत चल तथा अचल संपत्तियों के वार्षिक विवरण देने के संबंध में

इस संस्थान द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 16-01-2015 एवम 23-03-2015 तथा दिनांक 13-10-2014 और 11-08-2015 को परिचालित सीएसआईआर पत्र संख्या 5-1(17)/2008-PD दिनांक 25-09-2014 और 05-08-2015 के अनुक्रम में NISCAIR के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि लोकपाल और लोकयुक्त कानून के तहत सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को अपने संपत्ति विवरण निम्नलिखित तिथियों से पहले भरने आवश्यक है।

1. दिनांक 01 अगस्त 2014 तक का पहला संपत्ति विवरण दिनांक 15 October, 2015 तक देय होगा। The first return (as on 1st Aug.,2014) to be filled by 15th October,2015.
2. दिनांक 31 मार्च 2015 तक का वार्षिक संपत्ति विवरण दिनांक 15 October, 2015 तक देय होगा। The annual return (as on 31st March, 2015) to be filled by 15th Oct.,2015.
3. इसके बाद प्रतिवर्ष के 31 मार्च तक के संपत्ति विवरण उस वर्ष की दिनांक 31 July तक देय होंगे। (The subsequent Annual Returns (as on 31st Marh, of every year) to be filled by 31st July of that year.

इसके आतिरिक्त ग्रुप ए और बी में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों को सीसीएस (आचरण) नियमावली 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत हर वर्ष अचल संपत्ति विवरण उसके अगले वर्ष की 31 जनवरी तक प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। उपरोक्त फॉर्म NISCAIR वैबसाइट पर उपलब्ध है और सतर्कता अनुभाग में जमा करने होंगे।


(के.एस. गेरा) 29/09/2015

अनुभाग अधिकारी (सतर्कता)

प्रतिलिपि :

1. सभी सूचना पत्र
- ✓ 2. प्रधान, आईटी प्रभाग : इस अनुरोध के साथ कि वे इस OM को NISCAIR वैबसाइट पर सूचनार्थ डालें।
3. सभी अनुभाग के प्रधानों को : इस अनुरोध के साथ कि वे अपने अधीन कार्यरत स्टाफ सदस्यों में इसे आवश्यक कार्यवाही हेतु परिचालित करें।
4. निदेशक के निजी सचिव
5. प्रशासनिक अधिकारी के निजी सचिव